

स्पीड पोस्ट

संख्या-6/एफ1-303/2018 प्र0सं0-

6403

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त।
सभी संबंधित सहायक श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी।
सभी संबंधित श्रम अधीक्षक।
श्रमायुक्त के सचिव।

पटना, दिनांक- 5-9-18

विषय:- राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विपत्र कोड-26-2230011030103, के तहत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 6193 dated- 05-09-18 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विपत्र कोड-26-2230011030103 के तहत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 6193 dated- 05-09-18 में राशि किस हेतु निर्गत की गयी है, का उल्लेख संभव नहीं है।

2. CFMS Order No.- 6193 dated- 05-09-18 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	संविदा वाहन की संख्या	विषयशीर्ष-0103.13.10- भाड़े की गाड़ी का भुगतान से प्रति कार्यालय X @ 1200/-प्रतिदिन X 26 दिन X 6 माह की दर से (रु. 31,200/- मासिक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	1	187200	धावा दल के लिए
2	श्रम अधीक्षक, अररिया	1	187200	धावा दल के लिए
3	श्रम अधीक्षक, अरवल	1	187200	धावा दल के लिए
4	श्रम अधीक्षक, भभुआ (कैमूर)	1	187200	धावा दल के लिए
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	3	561600	उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं धावा दल के लिए
6	उप श्रमायुक्त, वेगुसराय	1	187200	उप श्रमायुक्त मुंगेर एवं धावा दल के लिए
7	श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा)	1	312000	धावा दल के लिए
8	श्रम अधीक्षक, बांका	1	187200	धावा दल के लिए
9	श्रम अधीक्षक, बक्सर	1	187200	धावा दल के लिए
10	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	2	374400	सहायक श्रमायुक्त, एवं धावा दल के लिए
11	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)	2	374400	सहायक श्रमायुक्त एवं धावा दल के लिए
12	श्रम अधीक्षक, मोतिहारी	1	187200	धावा दल के लिए
13	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	1	187200	धावा दल के लिए

14	उप श्रमायुक्त, गया	2	374400	उप श्रमायुक्त,सहायक श्रमायुक्त एवं धावा दल के लिए
15	श्रम अधीक्षक, जमुई	1	187200	धावा दल के लिए
16	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद	1	187200	धावा दल के लिए
17	श्रम अधीक्षक, खगड़िया	1	187200	धावा दल के लिए
18	श्रम अधीक्षक, किशनगंज	1	187200	धावा दल के लिए
19	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल कटिहार	2	374400	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ एवं धावा दल के लिए
20	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	1	187200	धावा दल के लिए
21	श्रम अधीक्षक, मधुबनी	1	187200	धावा दल के लिए
22	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	1	187200	धावा दल के लिए
23	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	2	374400	सहायक श्रमा० एवं धावा दल के लिए
24	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	2	374400	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर एवं धावा दल के लिए
25	श्रम अधीक्षक, नालन्दा (विहारशरीफ)	1	302400	धावा दल के लिए
26	श्रम अधीक्षक, नवादा	1	187200	धावा दल के लिए
27	श्रमायुक्त का कार्यालय	5	936000	श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमा०-01,02,03 एवं सहायक श्रमा० (शोध) के लिए
28	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल	1	407200	धावा दल के लिए
29	उप श्रमायुक्त, पटना	2	374400	सहायक श्रमायुक्त, पटना एवं धावा दल के लिए
30	मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, पटना	1	187200	सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, पटना के लिए
31	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	1	187200	धावा दल के लिए
32	श्रम अधीक्षक, शिवहर	1	187200	धावा दल के लिए
33	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	1	187200	धावा दल के लिए
34	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी	1	187200	धावा दल के लिए
35	श्रम अधीक्षक, सुपौल	1	187200	धावा दल के लिए
36	सहायक श्रमायुक्त, सारण (छपरा)	1	187200	धावा दल के लिए
37	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर	1	187200	धावा दल के लिए
38	श्रम अधीक्षक, सीवान	1	187200	धावा दल के लिए
39	श्रम अधीक्षक, वैशाली (हाजीपुर)	1	197300	धावा दल के लिए
40	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	2	374400	सहायक श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर एवं धावा दल के लिए
कुल योग		54	10578900	

- यह राशि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-3387 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त आवंटित की गयी है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
- CFMS Order No.- 6193 dated- 05-09-18 से आवंटित राशि से सभी संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त भाड़े पर रखे संविदा वाहन का उपयोग कैम्प कार्यालयों के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार के प्रमण्डल अथवा जिले के कार्यालयों में बाल श्रम से संबंधित अर्द्धन्यायिक कार्यों का निष्पादन तथा पर्यवेक्षण हेतु करेंगे।

इसके अतिरिक्त माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु सभी 38 जिलों में जिला स्तर पर गठित धावा दल के सघन निरीक्षण एवं बाल श्रमिकों के विमुक्ति के लिए, प्रति जिला एक वाहन हेतु राशि आवंटित की गयी है।

सभी संविदा वाहन हेतु प्रति कार्यालय X 1200/-प्रतिदिन X 26 दिन (अधिकतम रू. 31,200/- मासिक)की दर पर नियमानुसार निविदा प्राप्त कर वाहन की व्यवस्था हेतु राशि का आवंटन किया गया है।

वाहन का उपभोग करने वाले सभी पदाधिकारी एक लॉग बुक का संधारण करेंगे तथा वाहन का उपयोग किस कार्य के लिए हुआ है इस लॉग बुक में प्रतिदिन अंकित करेंगे। इस लॉग बुक के आधार पर ही वाहन पर व्यय हुए राशि का उपयोगिता मासिक रूप से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे तथा वाहन का उपभोग अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही करेंगे।

7. Object Head 13-10-Hire Car (विषयशीर्ष-0103.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान) से श्रम अधीक्षक, नालन्दा(बिहार शरीफ), श्रम अधीक्षक, वैशाली(हाजीपुर), श्रम अधीक्षक, भोजपुर(आरा) एवं श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01 को आवंटित की गयी राशि में श्रम अधीक्षक, नालन्दा(बिहार शरीफ) के पत्रांक-523 दिनांक-01.08.18, श्रम अधीक्षक, वैशाली(हाजीपुर) के पत्रांक-601 दिनांक-29.05.18, श्रम अधीक्षक, भोजपुर(आरा) के पत्रांक-428 दिनांक-26.05.18, एवं श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01 के पत्रांक-371 दिनांक-24.5.18 द्वारा अधियाचित बकाया की राशि भी शामिल है।

8. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय।

9. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

A
05/09/18
(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापंक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0-

6403

पटना, दिनांक

5-9-18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06/लेखा शाखा श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

A
05/09/18
(गोपाल मोणा)

श्रमायुक्त, बिहार।